संख्या– 565 बी/स.वि.क.नि.–6/2017

प्रेषक

अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव
संस्थागत वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2017

विषयः **प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के दिनांक 31–3–2016 तक लिए गए तथा दिनांक 31–3–2017 तक बकाया फसली ऋणों को रु0 1 लाख की सीमा तक मोचन किए जाने संबंधी निर्णय शासनादेश संख्या–134(ख)01(ख)/एस0वी0के0एन–6/2017, दिनांक 07–4–2017 द्वारा प्रसारित किया गया था। उक्त के क्रम में एक विस्तृत योजना आपको शासनादेश संख्या–540बी/सविकनि–6/2017, दिनांक 24 जून, 2017 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार प्रेषित योजना में समिति के दायित्व, जागरूकता अभियान, अनुश्रवण हेतु रिपोर्ट का प्रेषण एवं शिकायत निवारण संबंधी बिन्दुओं के बारे में निम्नवत दिशा–निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु दिये जाते हैं–

2. (क) **जिला स्तरीय समिति**:– जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति का स्वरूप निम्नवत् हैः–

क्र0	जिला स्तरीय समिति	भूमिका
1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ)	सचिव
3.	जिला कृषि अधिकारी (डीएओ)	सह–सचिव
4.	उप कृषि निदेशक (डीडीए)	सदस्य
5.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम)	सदस्य
6.	अग्रणी जिला प्रबन्धक (एलडीएम)	सदस्य
7.	सहायक निबन्धक/आयुक्त, सहकारी समितियां	सदस्य

8.	महाप्रबन्धक, सहकारी बैंक	सदस्य
9.	जिला समन्वयक (सभी बैंको से)	सदस्य
10.	जिला गन्ना अधिकारी (डीसीओ)	सदस्य
11.	जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ)	सदस्य
12.	जिला सूचना अधिकारी (डीआईओ)	सदस्य
13.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआईओ), एनआईसी	सदस्य
14.	जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य

2. (ख) जिला स्तरीय समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व–

(i) योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के अनुश्रवण में जिला स्तरीय समिति की भूमिका रहेगी।

(ii) जिला स्तर पर निर्णय लेने में जिला स्तरीय समिति की भूमिका रहेगी।

(iii) कृषि विभाग से किसानों के फसल–ऋण सम्बन्धी डाटा प्राप्त होने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति लघु एवं सीमांत किसानों की अर्हता के निर्धारण हेतु योजना के मानदण्डों के अनुसार विचार–विमर्श करेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा किसानों की निर्णीत अंतिम सूची को समिति के सचिव एवं सह–सचिव को हस्तान्तरित किया जायेगा। समिति का सह–सचिव डाटा को डिजिटली हस्ताक्षरित करेगा तथा आवश्यक भुगतान आदेश संबंधित ऋण प्रदाता संस्था को निर्गत करेगा।

(iv) जब भी पोर्टल पर किसानों से संबंधित विवरण प्राप्त होगा, जिला स्तरीय समिति किसानों के उस डाटा पर योजना के मानदण्डों के अनुसार विचार–विमर्श करेगी। समिति की बैठकों के कार्यवृत्त भी अभिलेखीय उद्देश्य से वेब–पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।

(v) योजना में उल्लिखित परिभाषानुसार किसानों के वर्गीकरण के निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी। इस संबंध में कोई भी निर्णय योजना के मानदण्डों के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा ही किया जायेगा।

(vi) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार, एनआईसी के वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किसानों की सूची के डाटा का विधिमान्यकरण (पुष्टीकरण) एवं मोचित धनराशि का अर्ह किसानों के खाते में अन्तरण जिला स्तरीय समिति का उत्तरदायित्व होगा।

(vii) जिला स्तरीय समिति ऐसे किसानों के सत्यापन के लिए उत्तरदायी होगी जिन्होंने विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न भूखण्डों को बंधक रखे जाने के सापेक्ष एक से अधिक खातो से ऋण प्राप्त किया है, उन्हें अधिकतम समेकित रूपया एक लाख की धनराशि की सीमा तक आनुपातिक आधार पर मोचन प्राप्त होगा।

(viii) समुचित जागरूकता अभियान में कैम्प लगाकर सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से ऋण संबंधी पत्र (परिशिष्ट–क/ख) वितरित किए जायेंगें। योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी।

(ix) उक्त के अतिरिक्त योजना (scheme) में यथास्थान उल्लिखित अपने कार्यो के लिये जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी।

योजना के जागरूकता अभियानों के आयोजन के संबंध में निम्नवत कार्यवाही की जायेगी–

जागरूकता अभियान का आयोजन एवं विभिन्न पत्रों का वितरण–

जागरूकता अभियान निम्न चरणों में आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम चरण–

संदर्भित शासनादेश दिनांक 24 जून, 2017 के साथ संलग्न योजना (scheme) के कार्यान्वयन प्रक्रिया संबंधी अध्याय के बिन्दु–5 के उप बिन्दु (4)–च, में विहित प्रक्रिया के अनुपालन के उपरान्त चिन्हित आधार सीडेड अर्ह किसानों के खाते में धनराशि अंतरण के उपरान्त लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जायेगी तथा सात दिनों के भीतर संबंधित बैंक शाखाओं में जिला स्तरीय समिति द्वारा समुचित जागरूकता अभियान आयोजित किया जायेगा। जनपद स्तर पर एक व्यापक कार्यक्रम कराया जाये जिसमें कैम्प लगाकर ऋण मोचन/सूचना पत्र वितरित किया जाय। साथ ही तहसील मुख्यालयों पर भी कैम्प आयोजित कर ऋण मोचन/सूचना पत्र वितरित किया जाय। उक्त विवरण पत्रों को ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकेगा।

द्वितीय चरण–

ऐसे किसानों की सूची, जिन्होंने प्रथम चरण में सूचना पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अपने 'आधार विवरण' का अंकन एक माह में करा लिया हो, उनके प्रकरणों को भी 'द्वितीय जागरूकता अभियान' में कैम्प आयोजित कर योजना में निर्धारित मानदण्डों एवं विहित प्रक्रिया के अनुसार उपरोल्लिखि प्रथम चरण की तरह जनपद स्तर पर तथा तहसील मुख्यालय स्तर पर ऋण मोचन/सूचना पत्र वितरित किया जाय।

तृतीय चरण–

ऐसे किसान जिन्होंने द्वितीय चरण के उपरान्त भी आधार विवरण का अंकन नहीं कराया है उनके प्रकरण तथा गैर भूलेख मैप्ड सूची वाले प्रकरणों पर योजना में निर्धारित मानदण्डों एवं विहित प्रक्रिया के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन कराकर निर्णय लिये जाने के उपरान्त उपरोल्लिखित प्रथम एवं द्वितीय चरण की तरह जनपद स्तर पर तथा तहसील मुख्यालय स्तर पर ऋण मोचन/सूचना पत्र वितरित किया जाय।

उपरोक्त जागरूकता अभियानों में कैम्प के आयोजन की अवधि के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

2.(ग) जिला स्तर पर शिकायत निवारण एवं अनुश्रवणः–

जिला स्तर पर योजना के संबंध में प्राप्त होने वाले शिकायतों के निवारण एवं अनुश्रवण का कार्य जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्नवत् किया जायेगाः–

(i) जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा।

(ii) शिकायत निवारण हेतु जिले स्तर पर एक दूरभाष संख्या की भी व्यवस्था की जायेगी जिसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(iii) नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सभी शिकायतों को एनआईसी द्वारा फसली ऋण मोचन हेतु विकसित पोर्टल में शिकायत निवारण हेतु बने लिंक पर संबंधित द्वारा दर्ज किया जायेगा। शिकायत दर्ज होने के उपरान्त 'योजना' में विहित प्रक्रिया के अनुरूप जिला स्तरीय समिति द्वारा जांचोपरान्त अर्ह पायी गयी किसानों की सूची पर योजना में विहित दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(iv) ऑफलाइन शिकायत का पंजीकरण जिलाधिकारी के नियंत्रण कक्ष में 'योजना' में दिए गए प्रारूप पर किया जा सकेगा जिसको उक्त पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन कराया जायेगा।

(v) जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों एवं निस्तारित शिकायतों की श्रेणीवार, ग्रामवार, तहसीलवार रिपोर्ट तैयार की जायेगी साथ ही कुल शिकायतों के सापेक्ष अर्ह किसानों की संख्या भी प्रदर्शित की जायेगी।

योजना से संबंधित जिला स्तर पर शिकायत वाले प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी।

2. (घ) **तहसील स्तर पर शिकायतों का निवारण**

तहसील स्तर पर योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए निम्न व्यवस्था रहेगी:–

(i) तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी द्वारा एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा।

(ii) शिकायत निवारण हेतु तहसील स्तर पर एक दूरभाष संख्या की भी व्यवस्था की जायेगी।

(iii) नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सभी शिकायतों को एनआईसी द्वारा फसली ऋण मोचन हेतु विकसित पोर्टल में शिकायत निवारण हेतु बने लिंक पर फीड किया जायेगा। शिकायत दर्ज होने के उपरान्त 'योजना' में विहित प्रक्रिया के अनुरूप जिला स्तरीय समिति द्वारा जांचोपरान्त अर्ह पायी गयी किसानों की सूची पर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

2. (च) **जिला स्तरीय समिति के स्तर पर प्रगति रिपोर्ट एवं अनुश्रवण:–**

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के कियान्वयन के संबंध में अपनी प्रगति रिपोर्ट को निम्न तालिका में दिये गये प्रारूप एवं समयावधि के अनुसार संस्थागत वित्त महानिदेशालय की ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया जायेगा। एन.आई.सी द्वारा योजना के कियान्वयन की प्रगति से संबंधित तैयार किये जा रहे MIS पोर्टल के उपलब्ध होने पर योजना के कियान्वयन संबंध में प्रगति की रिपोर्टिंग MIS पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

क्र0	प्रारूप संख्या	प्रेषण(साप्ताहिक / मासिक)	संस्थागत वित्त महानिदेशालय की ई–मेल आई0डी0
1	2 (च)–1	साप्ताहिक	directorgeneral.difup@gmail.com
2	2 (च)–2	साप्ताहिक	
3	2 (च)–3	मासिक	
4	2 (च)–4	मासिक	
5	2 (च)–5	मासिक	
6	2 (च)–6	योजना के जागरूकता अभियानों की समाप्ति की पश्चात।	

प्रारूप–2.(च)–1 : समिति की बैठक संबंधी विवरण (साप्ताहिक सूचना)

कमांक	जिला स्तरीय समिति की बैठक की तिथि	समिति के सदस्य				सह–सचिव द्वारा डाटा प्राप्त करने की तिथि	सह–सचिव द्वारा डाटा जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करने की तिथि	जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष का नं0	तहसील स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष का नं0
		नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर	ई–मेल आईडी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रारूप–2.(च)–2 : समिति द्वारा अनुमोदित अर्ह किसानों के विवरण संबंधी (साप्ताहिक सूचना)

क.	जिले में बैंक शाखाएं (अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर)	बैंक शाखाएं जिनके द्वारा निर्धारित समय में वेब पोर्टल पर डाटा प्रविष्ट कर दिया गया	बैंक शाखाएं जिनके द्वारा निर्धारित समय में वेब पोर्टल पर डाटा प्रविष्ट नहीं किया गया	बैंक शाखाओं द्वारा डाटा पोर्टल पर प्रविष्ट करने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा साफ्टवेयर रन करने की तिथि	जिला स्तरीय समिति द्वारा साफ्टवेयर रन करने के उपरान्त प्रदर्शित खातों की संख्या			पोर्टल से सृजित किसानों की सूची, को आपत्ति प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने की तिथि तथा स्थान		जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित अर्ह किसानों की संख्या		जिलाधिकारी द्वारा धनराशि वितरण हेतु अनुमोदन		
					आधार सीडेड	गैर–आधार सीडेड	गैर–भूलेख मैप्ड	तिथि	सार्वजनिक स्थान	तिथि	संख्या	तिथि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रारूप–2.(च)–3 : प्रथम जागरूकता अभियान में आयोजित कैम्प संबंधी विवरण (मासिक सूचना)

क.	जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित अर्ह किसानों		प्रथम जागरूकता अभियान		आधार–सीडेड अर्ह किसान (संख्या)				गैर आधार–सीडेड अर्ह किसान (संख्या)			
	अनुमोदन तिथि	संख्या	तिथि	स्थान	जनपद स्तर पर I कैम्प में वितरित किये गये ऋण मोचन विवरण पत्र की संख्या	तहसील स्तर पर कैम्प में वितरित किये गये ऋण मोचन विवरण पत्र की संख्या	बैंक शाखाओं में वितरित ऋण मोचन विवरण पत्र की संख्या	कुल वितरित ऋण मोचन विवरण पत्र	जनपद स्तर पर कैम्प में वितरित किये गये सूचना पत्र की संख्या	तहसील स्तर पर कैम्प में वितरित किये गये सूचना पत्र की संख्या	बैंक शाखाओं में वितरित सूचना पत्र की संख्या	कुल वितरित सूचना पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रारूप–2.(च)–4: द्वितीय जागरूकता अभियान में आयोजित कैम्प संबंधी विवरण (मासिक सूचना)

क0	जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित अर्ह किसानों की सूची		द्वितीय कैम्प		गैर आधार–सीडेड अर्ह किसान (संख्या)					द्वितीय कैम्प की समाप्ति तक कुल वितरित ऋण मोचन विवरण पत्रों की संख्या (प्रथम कैम्प तथा द्वितीय कैम्प को सम्मिलित करते हुए)
	तिथि	संख्या	तिथि	स्थान	प्रथम कैम्प के ऐसे किसान जिन्होंने एक माह के अन्दर अपना आधार विवरण अंकित करा लिया है,				प्रथम कैम्प के ऐसे किसान जिन्होंने एक माह के अन्दर अपना आधार विवरण अंकित नहीं कराया है,, उनकी संख्या	
					जनपद स्तर पर कैम्प में वितरित किये गये ऋण मोचन विवरण पत्र की संख्या	तहसील स्तर पर कैम्प में वितरित किये गये ऋण मोचन विवरण पत्र की संख	बैंक शाखाओं में वितरित ऋण मोचन विवरण पत्र की संख्या	कुल वितरित ऋण मोचन विवरण पत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रारूप–2.(च)–5 : **तृतीय जागरूकता अभियान में आयोजित कैम्प संबंधी विवरण (मासिक सूचना)**

क्रम	जिला स्तरीय समिति द्वारा द्वितीय कैम्प के पश्चात अनुमोदित अर्ह किसानों की सूची		तृतीय कैम्प		गैर आधार–सीडेड अर्ह किसान (संख्या)					गैर–भूलेख मैप्ड किसान (संख्या)	गैर भूलेख मैप्ड किसान जो भौतिक सत्यापन के बाद अर्ह पाये गयी (संख्या)	तृतीय कैम्प की समाप्ति तक विवरण	
	तिथि	संख्या	तिथि	स्थान	द्वितीय कैम्प तथा उसके बाद की अवधि में ऐसे किसान अपना आधार विवरण अंकित करा लिया है,				द्वितीय कैम्प तथा उसके बाद की अवधि में ऐसे किसान जिन्होंने तृतीय कैम्प तक भी आधार विवरण अंकित नहीं कराया है			कुल वितरित ऋण मोचन विवरण पत्रों की संख्या	वितरण हेतु अवशेष ऋण मोचन विवरण पत्रों की संख्या
					जनपद स्तर पर आयोजित कैम्प में वितरित किये गये ऋण मोचन विवरण पत्र की संख्या	तहसील स्तर पर आयोजित कैम्प में वितरित किये गये ऋण मोचन विवरण पत्र की संख्या	बैंक शाखाओ में वितरित ऋण मोचन विवरण पत्र की संख्या	कुल वितरित ऋण मोचन विवरणा पत्र					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रारूप–2.(च)–6 : अन्तिम जागरूकता अभियान के बाद समेकित सूचना

क्र.	जिले में पोर्टल के लॉग–इन ओपन होने की तिथि	जिले में पोर्टल के लॉग–इन ओपन होने के बाद बैंकों द्वारा प्रेषित किसानों के प्रकरणों की संख्या	जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित प्रकरणों की संख्या				योजना के संबंध में धनराशि संबंधी विवरण			अवशेष प्रकरण		अन्य / अभ्युक्ति
			आधार सीडेड	गैर आधार सीडेड	गैर भूलेख मैप्ड (सत्यापित)	कुल योग	कुल धनराशि जिसकी जिला स्तरीय समिति द्वारा मांग की गयी	मांग के सापेक्ष कुल प्राप्त धनराशि	जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद कुल अन्तरित धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	

3 (क) मण्डल स्तरीय समिति :–

(i) मण्डल स्तर पर गठित की जाने वाले समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:–

क्र0	मण्डल स्तरीय समिति	भूमिका
1.	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	संयुक्त विकास आयुक्त	सचिव
3.	संयुक्त कृषि निदेशक	सह–सचिव
4.	मण्डल के जिलाधिकारी	सदस्य
5.	मण्डल के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
6.	संयुक्त निबंधक / आयुक्त सहकारी समितियां	सदस्य
7.	उप गन्ना आयुक्त	सदस्य
8.	उप निदेशक, सूचना	सदस्य
9.	उप निदेशक, अर्थ एवं संख्यिकी	सदस्य
10.	मण्डल के जिलो में कार्यरत बैंकों के नियंत्रक (क्षेत्रीय / जोनल प्रबन्धक)	सदस्य

(ii) आवश्यकता होने पर मण्डलायुक्त द्वारा उक्त समिति में किसी अन्य सदस्य को भी नामित किया जा सकता है।

3. **(ख) मण्डल स्तरीय समिति का उत्तरदायित्व**

(क) जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित अनर्ह किसानों की सूची पर प्रत्यावेदन दिए जाने पर निर्णय लेना।

(ख) योजना के प्रावधानों एवं शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर निर्णय देना।

(ग) अपने–अपने मण्डल में योजना के कार्यान्वयन एवं निष्पादन का पर्यवेक्षण करना।

(घ) नीतिगत मामलों को राज्य स्तर पर सशक्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) को सम्प्रेषित करना।

3. **(ग) मण्डल स्तरीय समिति द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों का प्रारूप**

प्रारूप–3.(ग)–1 : समिति की बैठकों का विवरण (मासिक सूचना)

क0	समिति के सदस्य				बैठक की तिथि	बैठक का एजेंडा बिन्दु	अन्य अभ्युक्ति
	नाम	पदनाम	मोबाइल	ई–मेल आईडी			
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप–3.(ग)–2 : जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रेषित अनर्ह किसानों की सूची के सापेक्ष अनर्ह किसानों से प्राप्त प्रत्यावेदन

क0	जिला स्तरीय समिति द्वारा संदर्भित अनर्ह किसानों की सूची प्राप्त करने की तिथि	प्रत्यावेदन देने वाले किसान का नाम	प्रत्यावेदन प्राप्ति की तिथि	समिति की बैठक की तिथि	निस्तारित प्रकरणों की संख्या	अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या	जिला स्तरीय समिति को निस्तारित प्रकरण प्रेषित करने की तिथि	जिला स्तरीय समिति को अनिस्तारित प्रकरण प्रेषित करने की तिथि	अन्य/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रारूप–3.(ग)–3 : मण्डलीय स्तरीय समिति द्वारा संदर्भित प्रकरण

क0	प्रकरण की प्रकृति	प्ररकण पर मण्डल स्तरीय समिति का प्रस्ताव	संदर्भित करने की तिथि	अन्य/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

4. (क) राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) समिति

(i) प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन योजना संबंधी शासनादेश संख्या–134(ख)01(ख)/एस0वी0के0एन–6/2017, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 तथा उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 9, मई, 2017 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी।

(ii) समिति का स्वरूप निम्नवत है। आवश्यक होने पर माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश समिति के सदस्यों की संख्या में परिर्वतन करने के लिये अधिकृत हैं।

क्र0	राज्य स्तरीय समिति	भूमिका
1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0शासन	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उ0प्र0शासन	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,कृषि, उ0प्र0शासन	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,राजस्व, उ0प्र0शासन	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,सहकारिता, उ0प्र0शासन	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,आई.टी.एवं इलैक्ट्रानिक्स, उ0प्र0शासन	सदस्य
9.	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0	सदस्य

4. (ख) राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) का उत्तरदायित्व

(i) नीतिगत मामलों के संबंध में मण्डल स्तरीय समिति द्वारा संदर्भित प्रकरणो पर निर्णय लेना।

(ii) योजना के ऋण मोचन हेतु समस्त संगत पहलुओं पर विचार कर योजना का स्वरूप तैयार करना।

(iii) योजना हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था किये जाने के लिये प्रस्ताव देना।

(iv) योजना का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

5. नियंत्रण कक्ष

योजना के कार्यान्वयन के दौरान योजना से संबंधित हितधारकों यथा जिला स्तरीय समिति, बैंक के द्वारा तकनीकी एवं अन्य प्रकार की जिज्ञासाओं एवं पृच्छाओं के निराकरण हेतु संस्थागत वित्त महानिदेशालय लखनऊ स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा ।

6. 'योजना' के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर 'योजना' के प्रचार–प्रसार, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रकीर्ण व्यय किए जाने होंगे। इन विभिन्न मदों में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान कृषि विभाग के विभागीय अनुदान में बजट व्यवस्था के माध्यम से किए जायेंगे। योजना' के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जिले में आयोजित किए जाने वाले समस्त जागरूकता अभियानों में कैम्प के आयोजन एवं प्रचार–प्रसार की व्यवस्था से संबंधित आवश्यक धनराशि एवं उसके व्यय के संबंध में हेतु कृषि विभाग द्वारा अलग से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

उक्त योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए अपने स्तर पर कृत कार्यवाही से योजना में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 5650/8 स.वि.क.नि.–6 / 2017 / तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव वित्त / आई0टी0 एण्ड इलेक्ट्रानिक्स / सहकारिता, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, कृषि / राजस्व, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को फसली ऋण मोचन योजना संबंधी वेब पोर्टल पर योजना की प्रगति संबंधी रिपोर्ट हेतु प्रारूपों की व्यवस्था के लिए।
7. विशेष सचिव, वित्त विभाग (श्री नील रतन कुमार)।
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अमृत त्रिपाठी)
विशेष सचिव।